

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ यू-02/2019/


दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-20/वित्त/ग्रुप-2 दिनांक 25.01.92 एवं क्रमांक एफ-16/एफडी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.98 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जात है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय चयनित वेतन श्रृंखला
1	उर्मिला जैन, नर्स-2	भरतपुर	05.01.86 प्रसाविका 13.08.97 नर्स-2	05.01.2004 18 वर्ष	5000-8000	5500-9000

नोट:- उक्त कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश इस पर लागू नहीं होगा।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 14/5/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ यू-02/2019/678

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका का 6 वां एवं 7 वां पुनरिक्षित वेतनमान नियमानुसार आपके स्तर से स्वीकृत कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत करावें।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरतपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर